



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

22 आश्विन 1941 (श०)
(सं० पटना 1156) पटना, सोमवार, 14 अक्टूबर 2019

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

14 अक्टूबर 2019

एस० ओ० 388, दिनांक 14 अक्टूबर 2019—बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, उन रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को, जिनका किसी वित्तीय वर्ष में संकलित आवर्त दो करोड़ रुपए से अधिक नहीं है और जिन्होंने बिहार माल और सेवा कर नियमावली, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमावली कहा गया है) के नियम 80 के उप नियम (1) के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 44 की उपधारा (1) के अधीन देय तारीख के पहले वार्षिक विवरणी नहीं दी है, ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग के रूप में अधिसूचित करते हैं, जो वित्तीय वर्ष 2017-18 और 2018-19 के संबंध में ऐसी विशेष प्रक्रिया का अनुसरण करेंगे कि उक्त व्यक्तियों को उक्त नियमावली के नियम 80 के उपनियम (1) के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 44 की उपधारा (1) के अधीन वार्षिक विवरणी देने का विकल्प होगा :

परंतु उक्त विवरणी को, यदि देय तारीख के पहले नहीं दी गई है, देय तारीख पर दी गई समझा जाएगा ।

2. यह अधिसूचना दिनांक 9 अक्टूबर, 2019 के प्रभाव से प्रवृत्त होगी ।

[(सं०सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-6)3044)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव ।

14 अक्टूबर 2019

एस० ओ० 388, दिनांक 14 अक्टूबर 2019 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं०सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-6)3044)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

The 14th October 2019

S.O. 388, Dated 14th October 2019— In exercise of the powers conferred by section 148 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereinafter referred to as the said Act), the Governor of Bihar, on the recommendations of the Council, hereby notifies those registered persons whose aggregate turnover in a financial year does not exceed two crore rupees and who have not furnished the annual return under sub-section (1) of section 44 of the said Act read with sub-rule (1) of rule 80 of the Bihar Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereinafter referred to as the said rules) before the due date, as the class of registered persons who shall, in respect of financial years 2017-18 and 2018-19, follow the special procedure such that the said persons shall have the option to furnish the annual return under sub-section (1) of section 44 of the said Act read with sub-rule (1) of rule 80 of the said rules:

Provided that the said return shall be deemed to be furnished on the due date if it has not been furnished before the due date.

2. This notification shall come into force with effect from 9th October, 2019.

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-6) 3044)]

By the order of Governor of Bihar,

Dr. Pratima,

Commissioner State Tax-cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 1156-571+10 -डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>